HIGH COURT AT ALLAHABAD

Through E-mail.

From,

Ashish Garg, HJS.
Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad

To,

All the District & Sessions Judges
Subordinate to the High Court of Judicature at
Allahabad.

C.L.No. 3 /Admin. 'G-II' **Dated: 29.01.2022**

Sub: Writing orders, statements and office reports in clear and legible handwriting.
Ref. G.L. No. 887/44-28 dated 3rd March 1914

Madam/Sir,

Hon'ble Court has observed that some of the orders, statements and office reports in the Subordinate Courts are written in such bad hand writing that the same cannot be read properly. Some orders, statements and office reports are even illegible.

In this regard, Hon'ble Court has been pleased to direct that the Peshkars/Readers are duty-bound to write down the order in a legible manner, failing which, it may be treated as a misconduct. It has also been directed that all the statements recorded, as well as, office reports scribed on order sheets should be done in a clear and legible handwriting. If any order, statement or office report, is written in the order-sheet in a manner which cannot be read, the erring official shall be issued a notice calling for his/her explanation whereupon departmental proceedings may be initiated against the concerned official, as per law.

While enclosing herewith, an e-copy of order dated 28.10.2021, passed by Hon'ble Court in Case No. 4203 of 2021 (U/s 482/378/407) (at Lucknow Bench), I am directed to request you to kindly ensure strict compliance of the directions issued by the Hon'ble Court, by all concerned, in letter and spirit.

You are, further, requested to forward the instant letter to all the Principal Judges, Family Courts & Presiding Officers of Commercial Courts, MACTs and LARRAs of your respective district, for strict compliance of the aforesaid directions, by all concerned.

Encl. As above

Yours faithfully,

Ashish
28/1/2022
(Registrar General)

Seen. Circulate all amongst J.O. officer for information & Copy to S/ Commercial courts, MACTs & LARRAs, P.JFC [illegible]

DJ
31/01/22

Recd. 04-02-22 1:20 p.m

प्रशासनिक कार्यालयः जनपद न्यायाधीश, झांसी।

संदर्भ संख्या- 41 /डी०जे०   दिनांक- 02 फरवरी, 2022

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र सं०-03/एडमिन."जी-द्वितीय" दिनांकित 29.01.2022 के माध्यम से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

"Hon'ble Court has been pleased to direct that the Peshkars/Readers are duty-bound to write down the order in a legible manner, failing which, it may be treated as a misconduct. It has also been directed that all the statement recorded, as well, office reports scribed on order sheets should be done in a clear and legible handwriting. If any order, statement or office report, is written in the order-sheet in a manner which cannot be read, the erring official shall be issued a notice for his/her explanation whereupon departmental proceedings may be initiated against the concerned official, as per law."

इस न्यायिक अधिष्ठान में पदस्थ सभी न्यायिक अधिकारी/कर्मचारीगण को उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया जाता है।

इस आदेश की प्रति सभी न्यायालय/कार्यालयों में अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित हों।

दिनांक: 02.02.2022

(ज्योत्सना शर्मा)
जनपद न्यायाधीश
झांसी।

07-02-2022
Seen. Put on concerned
Guard file
07-02-2022

प्रतिलिपि ... A.D.J./ 2nd F.T.C. - II (14 F.C.) Jhansi ... अनुपालन
सूचनार्थ ... हेतु प्रेषित

I/c ... प्रशासनिक अधिकारी
... न्यायालय, झांसी

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।
(C/ u 14th F. C.).

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश
झाँसी।

विषय : दिनाँक 28. 05. 2022 (चतुर्थ शनिवार) को न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी कु० खुशनुमा के गैर हाजिर रहने व कु० खुशनुमा की जगह श्री मोहित शर्मा (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) द्वारा जाली व फर्जी तरीके से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

सादर अवगत कराना है कि दिनाँक 28. 05. 2022 (चतुर्थ शनिवार) को न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी कु० खुशनुमा प्रातः 06:55 बजे से प्रातः 09:25 बजे तक न्यायालय में उपस्थित आयी ही नहीं थी। दिनाँक 28. 05. 2022 को प्रातः 09:25 बजे मैंने अपने न्यायालय में उपस्थित कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया तो पाया कि उपस्थिति पंजिका पर सभी कर्मचारियों के हस्ताक्षर बने हुए हैं और कु० खुशनुमा के उक्त तिथि के हस्ताक्षर वाले कालम में हस्ताक्षर बने हुए थे और समय 06:55 अंकित है, जबकि उक्त कर्मचारी प्रातः 06:55 बजे से 09:25 बजे तक उपस्थित ही नहीं थी।

तत्पश्चात मेरे द्वारा सभी कर्मचारियों को श्रीमती संगीता पटेल अर्दली के माध्यम से बुलवाया गया तो सभी कर्मचारीगण उपस्थित आ गये, श्री मनोज साहू द्वितीय प्रशासनिक कार्यालय गये हुए होने के कारण उपस्थित नहीं आ सके लेकिन उक्त समय कु० खुशनुमा उपस्थित नहीं आयी क्योंकि उक्त कर्मचारी न तो कार्यालय, न ही न्यायालय और न ही न्यायालय परिसर में मौजूद थी, इस कारण उक्त कर्मचारी उपस्थित नहीं हो पायी।

उपस्थिति पंजिका पर कु० खुशनुमा के तथाकथित बने हुए हस्ताक्षर के बावत जब कढ़ाई से पूछताछ की गयी तो श्री बाल्मीकि साहू पेशकार ने बताया कि उक्त हस्ताक्षर श्री मोहित शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने बनाये हैं और जब श्री मोहित शर्मा से मेरे द्वारा पूछताछ की गयी तो उसने स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि कु० खुशनुमा के हस्ताक्षर उसने स्वयं बनाये हैं , और यह भी बताया कि दस (10:00) बजे तक खुशनुमा आ जायेगी, साथ ही उक्त कर्मचारी ने क्षमा माँगते हुए भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति पुनः न किये जाने का कथन किया जबकि उक्त कर्मचारी ने अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया है कि कु० खुशनुमा के हस्ताक्षर उसने नहीं बनाये हैं और यह भी कहा है कि दिनाँक 26. 02. 2022 को भी उसने कु० खुशनुमा के हस्ताक्षर नहीं बनाये है।

कु० खुशनुमा ने अपने स्पष्टीकरण में यह कहा है कि दिनाँक 28. 05. 2022 को वह

कार्यालय उपस्थित आयी थी और उपस्थिति पंजिका पर उसने स्वंय ही हस्ताक्षर बनाये हैं, किसी अन्य ने हस्ताक्षर नहीं बनाये हैं।

वास्तविकता यह है कि उक्त कर्मचारी (कु० खुशनुमा) न तो दिनाँक 26. 02. 2022 और न ही दिनाँक 28. 05. 2022 को कार्यालय आयी और न ही उक्त तिथि पर उक्त कर्मचारी के हस्ताक्षर हैं, बल्कि दिनाँक 28. 05. 2022 के हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से श्री मोहित शर्मा चतुर्थ श्रेणी के हस्तलेख में हैं और दिनाँक 26. 02. 2022 के भी हस्ताक्षर श्री मोहित शर्मा के हस्तलेख में होने की पूर्ण सम्भावना है।

महोदय अवगत कराना है कि उक्त कर्मचारी के दिनाँक 28. 05. 2022 को उपस्थित न आने व तथा कथित व फर्जी तरीके से कु० खुशनुमा द्वारा अपने हस्ताक्षर श्री मोहित शर्मा से बनवाये जाने व उक्त कर्मचारी द्वारा गलत व झूठी आख्या प्रस्तुत करने के बावत उक्त कर्मचारी के विरूद्व कठोर विभागीय कार्यवाही करने की कृपा करें तथा उक्त कर्मचारी के न्यायालय परिसर में उपस्थित होने के समय की जाँच न्यायालय परिसर व न्यायालयों में लगे CCTV के माध्यम से जाँच कराने की कृपा करें।

महोदय यह भी अवगत कराना है कि उक्त कर्मचारी के दिनाँक 26. 02. 2022 को उपस्थित न आने व तथा कथित व फर्जी तरीके से कु० खुशनुमा द्वारा अपने हस्ताक्षर बनवाये जाने के बावत मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनाँक 25. 05. 2022 को शिकायत प्रेषित की गयी है।

भवदीय

31.05.2022

दिनाँक :31. 05. 2022

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।

(C/ u 14th F. C.).

संलग्नक

1. न्यायालय द्वारा समस्त कर्मचारीगण को प्रेषित नोटिस व स्मृति पत्र मूल कुल सात (07).
2. समस्त कर्मचारीगणों द्वारा प्रेषित आख्या मूल कुल छः (06).

कुल मूल तेरह (13).

विश्राम कक्षः
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) , झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
दिनाँकः 29. 05. 2022

नोटिस

बनाम

श्री वाल्मीकि साहू पेशकार
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) , झांसी।

विषय :दिनाँक 28. 05. 2022 (चतुर्थ शनिवार) को इस न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी कु० खुशनुमा के कार्यस्थल पर गैर हाजिर रहने व उपस्थिति पंजिका पर बने फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में।

आपको अवगत कराया जाता है कि कर्मचारीगणों की उपस्थिति पंजिका आपकी अभिरक्षा में रहती है और जिस कर्मचारी द्वारा उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर किये जाते हैं, उन कर्मचारीगणों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी [illegible] कि न्यायालय का कौन सा कर्मचारी उपस्थित आया है और किस कर्मचारी ने उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर बनाये है।

दिनाँक 28. 05. 2022 को मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रातः 09:25 बजे के आसपास न्यायालय कक्ष में आने व उपस्थित कर्मचारीगणों व उपस्थिति पंजिका के बारे में जानकारी की गयी तब मैंने यह पाया कि उपस्थिति पंजिका पर कु० खुशनुमा कनिष्ठ सहायक के हस्ताक्षर बने हैं व समय 06:55 अंकित है, जबकि उक्त कर्मचारी [illegible] मे मौजूद ही नही थी और आपके द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि कु० खुशनुमा उपस्थित नहीं आयी है, उक्त कर्मचारी मेरे उपस्थित रहने के समय तक कार्य स्थल पर मौजूद ही नहीं आयी थी, उक्त कर्मचारी के हस्ताक्षर के बावत आपसे पूछे जाने पर आपने अवगत कराया कि उक्त हस्ताक्षर न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री मोहित शर्मा द्वारा बनायें गये है। मुझ अधोहस्ताक्षरी के उपस्थित रहने के समय श्री धनंजय कुमार पाल (आशुलिपिक) , श्रीमती संगीता पटेल (अर्दली) व श्री मोहित शर्मा (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मौजूद थे जबकि श्री मनोज कुमार साहू (द्वितीय) वरिष्ठ सहायक के बारे में बताया गया कि वह प्रशासनिक कार्यालय गये हुए हैं।

आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि दिनाँक 26. 02. 2022 को भी उक्त कर्मचारी न तो कार्यस्थल पर और न ही न्यायालय परिसर में कहीं उपस्थित रही जिसकी सूचना श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को दिनाँक 25. 05. 2022 को मेरे द्वारा दी जा चुकी है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिनाँक 28. 05. 2022 को प्रातः 06:55 बजे से प्रातः 09:25 (मेरे उपस्थित रहने के समय) तक कु० खुशनुमा के कार्यस्थल पर मौजूद रहने व उपस्थिति पंजिका पर जिस कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये और क्यों किये गये, इस सम्बन्ध में अपनी आख्या दिनाँक 30. 05. 2022 को प्रातः 10:00 बजे तक प्रस्तुत करें जिससे श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को इस सम्बन्ध में सूचित किया जा सके।

दिनाँकः29. 05. 2022

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) , झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

विश्राम कक्षः
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) ,झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
दिनाँकः 29. 05. 2022

नोटिस

प्रति

1. श्री धनंजय कुमार पाल (आशुलिपिक)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) ,झांसी।

विषय :दिनाँक 28. 05. 2022 (चतुर्थ शनिवार) को इस न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी कु० खुशनुमा के कार्यस्थल पर गैर हाजिर रहने व उपस्थिति पंजिका पर बने फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में।

आपको अवगत कराया जाता है कि दिनाँक 28. 05. 2022 को मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रातः 09:25 बजे के आसपास न्यायालय कक्ष मे आने व उपस्थित कर्मचारीगणों व उपस्थिति पंजिका के बारे में जानकारी की गयी तब मैंने यह पाया कि उपस्थिति पंजिका पर कु० खुशनुमा कनिष्ठ सहायक के हस्ताक्षर बने हैं व समय 06:55 अंकित है, जबकि उक्त कर्मचारी कार्यालय में मौजूद ही नहीं थी और श्री बाल्मीकि साहू पेशकार द्वारा बताया गया कि कु० खुशनुमा उपस्थित नहीं आयी है। मुझ अधोहस्ताक्षरी के उपस्थित रहने के समय श्री बाल्मीकि साहू पेशकार, आप तथा श्रीमती संगीता पटेल (अर्दली) व श्री मोहित शर्मा (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मौजूद थे जबकि श्री मनोज कुमार साहू (द्वितीय) वरिष्ठ सहायक के बारे में बताया गया कि वह प्रशासनिक कार्यालय गये हुए हैं।

उक्त कर्मचारी मेरे उपस्थित रहने के समय तक कार्य स्थल पर मौजूद ही नहीं आयी थी, उक्त कर्मचारी के हस्ताक्षर के बावत श्री बाल्मीकि साहू से पूछे जाने पर उन्होंने अवगत कराया कि उक्त हस्ताक्षर न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री मोहित शर्मा द्वारा बनाये गये है।

आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि दिनाँक 26. 02. 2022 को भी उक्त कर्मचारी न तो कार्यस्थल पर और न ही न्यायालय परिसर में कहीं उपस्थित रही जिसकी सूचना श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को दिनाँक 25. 05. 2022 को मेरे द्वारा दी जा चुकी है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिनाँक 28. 05. 2022 को प्रातः 06:55 बजे से प्रातः 09:25 (मेरे उपस्थित रहने के समय) तक कु० खुशनुमा के कार्यस्थल पर मौजूद रहने व उपस्थिति पंजिका पर जिस कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये और क्यों किये गये, इस सम्बन्ध में अपनी आख्या दिनाँक 30. 05. 2022 को प्रातः 10:00 बजे तक प्रस्तुत करें जिससे श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को इस सम्बन्ध में सूचित किया जा सके।

29.05.2022

दिनाँकः29. 05. 2022

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) ,झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

विश्राम कक्षः
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) ,झासी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
दिनाँकः 30. 05. 2022

नोटिस

बनाम

[illegible] कुमार साहू (द्वितीय) वरिष्ठ सहायक
[illegible] अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) ,झासी ।

विषय :दिनाँक 28. 05. 2022 (चतुर्थ शनिवार) को इस न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी कु० खुशनुमा के कार्यस्थल पर गैर हाजिर रहने व उपस्थिति पंजिका पर बने फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में ।

आपको अवगत कराया जाता है कि दिनाँक 28. 05. 2022 को मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रातः 09:25 [illegible] आसपास न्यायालय कक्ष में आने व उपस्थित कर्मचारीगणों व उपस्थिति पंजिका के बारे में जानकारी की गयी तब मैंने यह पाया कि उपस्थिति पंजिका पर कु० खुशनुमा कनिष्ठ सहायक के हस्ताक्षर बने हैं व समय 06:55 अंकित है, जबकि उक्त कर्मचारी कार्यालय में मौजूद ही नहीं थी और श्री बाल्मीकि साहू पेशकार द्वारा बताया गया कि कु० खुशनुमा उपस्थित नहीं आयी है, और आपके बारे में पूछे जाने पर बताया कि श्री मनोज कुमार साहू (द्वितीय) प्रशासनिक कार्यालय गये हुए हैं। मुझ अधोहस्ताक्षरी के उपस्थित रहने के समय श्री धनंजय कुमार पाल (आशुलिपिक) , श्रीमती संगीता पटेल (अर्दली) व श्री मोहित शर्मा (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मौजूद थे ।

उक्त कर्मचारी मेरे उपस्थित रहने के समय तक कार्य स्थल पर मौजूद ही नहीं आयी थी, उक्त कर्मचारी के हस्ताक्षर के बावत श्री बाल्मीकि साहू से पूछे जाने पर उन्होंने अवगत कराया कि उक्त हस्ताक्षर न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री मोहित शर्मा द्वारा बनाये गये है ।

आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि दिनाँक 26. 02. 2022 को भी उक्त कर्मचारी न तो कार्यस्थल पर और न ही न्यायालय परिसर में कहीं उपस्थित रही जिसकी सूचना श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को दिनाँक 25. 05. 2022 को मेरे द्वारा दी जा चुकी है ।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिनाँक 28. 05. 2022 को प्रातः 06:55 बजे से प्रातः 09:25 (मेरे उपस्थित रहने के समय) तक कु० खुशनुमा के कार्यस्थल पर मौजूद रहने व उपस्थिति पंजिका पर जिस कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये और क्यों किये गये, इस सम्बन्ध में अपनी आख्या आज दिनाँक 30. 05. 2022 को प्रातः 10:00 बजे तक प्रस्तुत करें जिससे श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को इस सम्बन्ध में सूचित किया जा सके ।

30.05.2022

दिनाँकः30. 05. 2022

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) ,झांसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

विश्राम कक्षः
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) ,झांसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
दिनाँकः 29. 05. 2022

नोटिस

बनाम

1. श्री मोहित शर्मा (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) ,झांसी।

विषय :दिनाँक 28. 05. 2022 (चतुर्थ शनिवार) को इस न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी कु० खुशनुमा के कार्यस्थल पर गैर हाजिर रहने व उपस्थिति पंजिका पर बने फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में।

आपको अवगत कराया जाता है कि दिनाँक 28. 05. 2022 को मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रातः 09:25 बजे के आसपास न्यायालय कक्ष में आने व उपस्थित कर्मचारीगणों व उपस्थिति पंजिका के बारे में जानकारी की गयी तब मैंने यह पाया कि उपस्थिति पंजिका पर कु० खुशनुमा कनिष्ठ सहायक के हस्ताक्षर बने हैं व समय 06:55 अंकित है, जबकि उक्त कर्मचारी कार्यालय में मौजूद ही नहीं थी और श्री बाल्मीकि साहू पेशकार द्वारा बताया गया कि कु० खुशनुमा उपस्थित नहीं आयी है। मुझ अधोहस्ताक्षरी के उपस्थित रहने के समय श्री बाल्मीकि साहू पेशकार, श्री धनंजय कुमार पाल (आशुलिपिक), श्रीमती संगीता पटेल (अर्दली) व आप स्वयं मौजूद थे जबकि श्री मनोज कुमार साहू (द्वितीय) वरिष्ठ सहायक के बारे में बताया गया कि वह प्रशासनिक कार्यालय गये हुए हैं।

उक्त कर्मचारी मेरे उपस्थित रहने के समय तक कार्य स्थल पर मौजूद ही नहीं आयी थी, उक्त कर्मचारी के हस्ताक्षर के बावत श्री बाल्मीकि साहू से पूछे जाने पर उन्होंने अवगत कराया कि उक्त हस्ताक्षर न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री मोहित शर्मा द्वारा बनाये गये है।

आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि दिनाँक 26. 02. 2022 को भी उक्त कर्मचारी न तो कार्यस्थल पर और न ही न्यायालय परिसर में कहीं उपस्थित रही जिसकी सूचना श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को दिनाँक 25. 05. 2022 को मेरे द्वारा दी जा चुकी है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिनाँक 28. 05. 2022 को प्रातः 06:55 बजे से प्रातः 09:25 (मेरे उपस्थित रहने के समय) तक कु० खुशनुमा के कार्यस्थल पर मौजूद रहने व उपस्थिति पंजिका पर आपने किसके कहने और किस हैसियत से उक्त कर्मचारी के हस्ताक्षर बनाये जबकि आपकी इस तथ्य की भली- भाँति पूर्ण जानकारी थी कि उक्त कर्मचारी कार्यस्थल पर मौजूद ही नहीं है, आपको यह भी पूर्ण जानकारी थी कि आपका कृत्य दण्डनीय और निन्दनीय है। आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि दिनाँक 28. 05. 2022 को उक्त कर्मचारी के

हस्ताक्षर आपने बनाये है, बिल्कुल वही हस्तलेख दिनाँक 26. 02. 2022 को उक्त कर्मचारी की उपस्थिति पंजिका पर बनाये गये हस्तलेख से मेल खाते है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उक्त दोनों तिथियों के हस्तलेख आपके ही है। अतः आप यह भी स्पष्ट करें कि दिनाँक 26. 02. 2022 को क्या आपने उक्त कर्मचारी को उपस्थित दर्शाये जाने के लिए हस्ताक्षर नही बनाये थे? इस सम्बन्ध में अपनी आख्या दिनाँक 30. 05. 2022 को प्रातः 10:00 बजे तक प्रस्तुत करे जिससे श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को इस सम्बन्ध में सूचित किया जा सके।

दिनाँक:29. 05. 2022

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

विश्राम कक्षः

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) ,झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
दिनाँकः 29. 05. 2022

नोटिस

बनाम

1. कु० खुशनुमा (कनिष्ठ सहायक)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) ,झांसी।

विषय :दिनाँक 28. 05. 2022 (चतुर्थ शनिवार) को आपके कार्यस्थल पर गैर हाजिर रहने व उपस्थिति पंजिका पर बने फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में।

आपको अवंगत कराया जाता है कि दिनाँक 28. 05. 2022 को मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रातः 09:25 बजे के आसपास न्यायालय कक्ष में आने व उपस्थित कर्मचारीगणों व उपस्थिति पंजिका के बारे में जानकारी की गयी तब मैंने यह पाया कि उपस्थिति पंजिका पर आपके हस्ताक्षर बने हुये हैं व समय 06:55 अंकित है, जबकि आप प्रातः 6:55 से प्रातः 9:25 बजे तक कार्य स्थल पर मौजूद ही नहीं थीं। पूछने पर श्री बाल्मीकि साहू पेशकार द्वारा बताया गया कि कु० खुशनुमा उपस्थित नहीं आयी है। मुझ अधोहस्ताक्षरी के उपस्थित रहने के समय श्री बाल्मीकि साहू पेशकार, श्री धनंजय कुमार पाल (आशुलिपिक), श्रीमती संगीता पटेल (अर्दली) व श्री मोहित शर्मा (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) मौजूद थे , श्री मनोज कुमार साहू (द्वितीय) वरिष्ठ सहायक के बारे में बताया गया कि वह प्रशासनिक कार्यालय गये हुए हैं।

मुझ अधोहस्ताक्षरी के दिनाँक 28. 05. 2022 को समय 9:25 बजे उपस्थित रहने के समय तक आप कार्य स्थल पर मौजूद ही नहीं आयी थी,आपके हस्ताक्षर के बावत श्री बाल्मीकि साहू से पूछे जाने पर उन्होंने अवगत कराया कि उक्त हस्ताक्षर न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री मोहित शर्मा द्वारा बनाये गये है।

आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि दिनाँक 26. 02. 2022 को भी आप न तो कार्यस्थल पर और न ही न्यायालय परिसर मे कहीं उपस्थित रही जिसकी सूचना श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को दिनाँक 25. 05. 2022 को मेरे द्वारा दी जा चुकी है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिनाँक 28. 05. 2022 को प्रातः 06:55 बजे से प्रातः 09:25 (मेरे उपस्थित रहने के समय) तक कार्यस्थल पर मौजूद न रहने व उपस्थिति पंजिका पर आपके बने हस्ताक्षर के बावत अपना स्पष्टीकरण दिनाँक 30. 05. 2022 को प्रातः 10:00 बजे तक प्रस्तुत करें, जिससे श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को इस सम्बन्ध में सूचित किया जा सके। आप इस बावत भी अपना स्पष्टीकरण उक्त तिथि व समय तक प्रस्तुत करे कि आपके उक्त हस्ताक्षर किस कर्मचारी द्वारा बनाये गये और यह भी बतायें कि क्या उक्त

हस्ताक्षर जिस कर्मचारी द्वारा बनाये गये हैं, क्या वह हस्ताक्षर आपके कहने पर बनाये गये हैं। आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि दिनाँक 28. 05. 2022 को बने हस्ताक्षर व दिनाँक 26. 02. 2022 को बने हस्ताक्षर एक ही [illegible] के हस्तलेख मे बना होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है और जिसे संबंधित कर्मचारी ने स्वयं स्वीकार किया है। आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि इस प्रकार का कृत्य आप दिनाँक 26. 02. 2022 को भी कर चुके हैं। आपका उक्त कृत्य दण्डनीय व घोर निन्दनीय है।

29.05.22

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनाँक:29. 05. 2022

29.5.22

विश्राम कक्षः
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झासी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
दिनाँकः 30. 05. 2022

बनाम

1. श्रीमती संगीता पटेल (अर्दली)

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झासी।

विषयः दिनाँक 28. 05. 2022 (चतुर्थ शनिवार) को इस न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी कु० खुशनुमा के कार्यस्थल पर गैर हाजिर रहने व उपस्थिति पंजिका पर बने फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में।

आपको अवगत कराया जाता है कि दिनाँक 28. 05. 2022 को मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रातः 09:25 बजे के आसपास न्यायालय कक्ष में आने व उपस्थित कर्मचारीगणों व उपस्थिति पंजिका के बारे में जानकारी की गयी तब मैंने यह पाया कि उपस्थिति पंजिका पर कु० खुशनुमा कनिष्ठ सहायक के हस्ताक्षर बने हैं व समय 06:55 अंकित है, जबकि उक्त कर्मचारी कार्यालय में मौजूद ही नहीं थी और श्री बाल्मीकि साहू पेशकार द्वारा बताया गया कि कु० खुशनुमा उपस्थित नहीं आयी है। मुझ अधोहस्ताक्षरी के उपस्थित रहने के समय श्री बाल्मीकि साहू पेशकार, श्री धनंजय कुमार पाल (आशुलिपिक), आप स्वयं व श्री मोहित शर्मा (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मौजूद थे जबकि श्री मनोज कुमार साहू (द्वितीय) वरिष्ठ सहायक के बारे में बताया गया कि वह प्रशासनिक कार्यालय गये हुए हैं।

उक्त कर्मचारी मेरे उपस्थित रहने के समय तक कार्य स्थल पर मौजूद ही नहीं आयी थी, उक्त कर्मचारी के हस्ताक्षर के बावत श्री बाल्मीकि साहू से पूछे जाने पर उन्होंने अवगत कराया कि उक्त हस्ताक्षर न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री मोहित शर्मा द्वारा बनाये गये है।

आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि दिनाँक 26. 02. 2022 को भी उक्त कर्मचारी न तो कार्यस्थल पर और न ही न्यायालय परिसर में कहीं उपस्थित रही जिसकी सूचना श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को दिनाँक 25. 05. 2022 को मेरे द्वारा दी जा चुकी है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिनाँक 28. 05. 2022 को प्रातः 06:55 बजे से प्रातः 09:25 (मेरे उपस्थित रहने के समय) तक कु० खुशनुमा के कार्यस्थल पंर मौजूद रहने व उपस्थिति पंजिका पर जिस कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये और क्यों किये गये, इस सम्बन्ध में अपंनी आख्या आज दिनाँक 30. 05. 2022 को प्रातः 10:00 बजे तक प्रस्तुत करें जिससे श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को इस सम्बन्ध में सूचित किया जा सके।

दिनाँकः30. 05. 2022

30.05.2022

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

स्मृति पत्र प्रथम

विश्राम कक्षः

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.),झांसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनाँकः 30. 05. 2022

नोटिस

बनाम

1. श्री बाल्मीकि साहू पेशकार
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.),झांसी।

2. श्री मनोज कुमार साहू (द्वितीय) वरिष्ठ सहायक
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.),झांसी।

3. श्री धनंजय कुमार पाल (आशुलिपिक)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.),झांसी।

4. श्रीमती संगीता पटेल (अर्दली)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.),झांसी।

5. श्री मोहित शर्मा (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.),झांसी।

6. कु० खुशनुमा (कनिष्ठ सहायक)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.),झांसी।

विषय :दिनाँक 28. 05. 2022 (चतुर्थ शनिवार) को इस न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी कु० खुशनुमा के कार्यस्थल पर गैर हाजिर रहने व उपस्थिति पंजिका पर बने फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये नोटिस का स्पष्टीकरण का नियत तिथि व समय तक प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराया जाता है कि उक्त मामले में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु आज दिनाँक 30. 05. 2022 को समय 10:00 बजे प्रातः तक का समय प्रदत्त किया गया था जिसका आपके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः पुनः आपको निर्दशित किया जाता है कि अपना स्पष्टीकरण आज ही अपरान्ह 12:15 बजे तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

30.05.2022

दिनाँकः30. 05. 2022

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.),झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

0/c

सेवा में

श्रीमान अपर जनपद न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) , झाँसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

विषय दिनाँक 28. 05. 2022 (चतुर्थ शनिवार) इस न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी कु० खुशनुमा के कार्यस्थल पर गैर हाजिर रहने व उपस्थिति पंजिका में फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में।

महोदय

ससम्मान निवेदन करना है कि प्रार्थी दिनाँक 28. 05. 2022 (चतुर्थ शनिवार) को प्रातः समय करीब 6:35 बजे न्यायालय का मुख्यद्वार खोलकर प्रार्थी फाईन रजिस्टर तैयार कर रहा था। इसी दौरान श्री मोहित शर्मा (अर्दली) उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर बना रहा था। हस्ताक्षर बनाने के कुछ ही मिनट बाद उपस्थिति पंजिका देखने लगे कि कौन- कौन कर्मचारी आये हैं, इसी दौरान देखा कि इस न्यायालय में कार्यरत कु० खुशनुमा का हस्ताक्षर बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा श्री मोहित शर्मा (अर्दली) पूछा कि कु० खुशनुमा अभी आयी नहीं है, हस्ताक्षर किसने बनाया है। तुम्हारे अलावा यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, कौन बनाया है, तुम बनाये हो तो बहुत गलत किये हो, क्योंकि कु० खुशनुमा अभी तक कार्यालय आयी नहीं है, तब श्री मोहित शर्मा (अर्दली) कहने लगा कि फोन करके हम बुला ले रहे हैं। तत्पश्चात मा० पीठासीन अधिकारी महोदय समय करीब 9:25 बजे न्यायालय में आये और उपस्थिति पंजिका का अवलोकन करते हुये सभी कर्मचारियों को समक्ष आने के लिये श्रीमती संगीता पटेल (आफिस प्यून) से बुलाया गया कि आशुलिपिक श्री धनंजय कुमार पाल श्री मनोज साहू वरिष्ठ लिपिक के जो वार्षिक निरीक्षण के संबंध में प्रशासनिक कार्यालय गये थे। प्रार्थी स्वयं, आशुलिपिक श्री धनंजय कुमार पाल, श्रीमती संगीता पटेल (आफिस प्यून) श्री मोहित शर्मा (अर्दली) सभी पी०ओ० महोदय के समक्ष मौजूद थे, परन्तु कु० खुशनुमा कार्यालय में न आने के कारण पी०ओ० महोदय के समक्ष उपस्थित नहीं थी। प्रार्थी से जब कु० खुशनुमा के फर्जी हस्ताक्षर के बारे में पूछा गया तो पी०ओ० महोदय के समक्ष खड़े श्री मोहित शर्मा (अर्दली) के बारे में बताया कि श्रीमान जी श्री मोहित शर्मा द्वारा ही हस्ताक्षर बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा श्री मोहित शर्मा (अर्दली) यह भी बताया कि दिनाँक 26. 02. 2022 (चतुर्थ शनिवार) का मामला निपटा नहीं है, फिर यह मामला सामने आ गया है।

मा० महोदय को सादर अवगत कराना है कि यह फर्जी हस्ताक्षर मोहित शर्मा द्वारा ही किया जा सकता है, उसके अलावा कोई कर्मचारी उपस्थित पंजिका के पास नहीं था।

आख्या सादर प्रेषित है।

प्रार्थी

BS

दिनांक- 31. 05. 2022

बाल्मीकि साहू
(पेशकार)
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) , झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

सेवा में

श्रीमान अपर जनपद न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) , झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

विषय नोटिस दिनाँक 30. 05. 2022 के अनुपालन में माँगे गये स्पष्टीकरण के संबंध में ।

महोदय

श्रीमान जी प्रार्थी को सादर निम्नलिखित निवेदन करना हैः-

1. प्रार्थी दिनांक 28. 05. 2022 को कार्यालय समय से 6:45 A. M. पर उपस्थित आया था । उपस्थिति पंजिका में अपने हस्ताक्षर बना कर कार्यालय का कार्य करने लगा ।

2. श्रीमाज जी द्वारा प्रातः 9:25 पर आने पर प्रार्थी प्रशासनिक कार्यालय वार्षिक निरीक्षण में कुछ अनुपालन करने गया था । इस कारण मा० महोदय के समक्ष उपस्थित नहीं रहा, उसके बाद कार्यालय वापस आकर अपना कार्य करता रहा ।

3. श्रीमान जी कु० खुशनुमा दिनाँक 28. 05. 2022 को प्रातः 6:45A. M. से 9:25 A. M. तक कार्यालय व न्यायालय में उपस्थित नहीं थी ।

4. श्रीमान जी, उपस्थिति पंजिका में कु० खुशनुमा के हस्ताक्षर बने थे, किस समय बनाये , किसने बनाये थे प्रार्थी को जानकारी नहीं है ।

श्रीमान जी की सेवा में आख्या सादर प्रेषित है ।

प्रार्थी

31.5.22

दिनांक- 31. 05. 2022

मनोज कुमार साहू (द्वितीय)
(वरिष्ठ लिपिक)
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) , झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

सेवा में,

श्रीमान ए०डी०जे० (एफ०टी०सी०) झाँसी
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

विषयः- श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), (चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित), झाँसी द्वारा दिनाँक 28.05.2022 (चतुर्थ शनिवार) से संबंधित माँगी गयी आख्या के संबध मे।

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि प्रार्थी दिनाँक 28.05.2022 (चतुर्थ शनिवार) को न्यायालय समय से पहुँचा तो उस समय प्रार्थी को पेशकार श्री बाल्मीकि साहू, श्री मोहित शर्मा (आफिस प्यून) एवं श्रीमती संगीता (अर्दली) उपस्थित थे और प्रार्थी ने न्यायालय पेशकार श्री बाल्मीकि साहू जी को बताकर न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश के न्यायालय में कार्य करने हेतु चला गया और वहीं कार्य करता रहा और श्रीमान जी (अपर सत्र न्यायाधीश F. T. C.), (चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) झाँसी द्वारा श्रीमती संगीता (अर्दली) से बुलवाया गया तब प्रार्थी न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), (चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित), झाँसी के न्यायालय में पहुँचा, परन्तु इस दौरान प्रार्थी द्वारा कु० खुशनुमा के न्यायालय/ कार्यालय आने-जाने एवं कु० खुशनुमा के उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि किसके द्वारा उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर किये गये और क्यों किये गये।

श्रीमान जी की सेवा में आख्या सादर प्रेषित है।

प्रार्थी

दिनांक 30.05.2022

(धनंजय कुमार पाल)
आशुलिपिक
न्यायालय ए०डी०जे० (एफ०टी०सी०-2) झांसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

सेवा मे,

श्रीमान न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F.T.C) झांसी।

विषय, दिनांक 28-05-22 के मांगे गये स्पष्टीकरण के संबंध मे।

महोदय,

निवेदन करना है कि दिनांक 28-05-22 को प्रार्थिया न्यायालय समय से आयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित पंजिका समय 9.25 पर सभी कर्मचारी द्वारा पृष्ठांकित किया गया उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किये। प्रार्थिया कु० खुशनुमा कार्यालय व न्यायालय परिसर मे मौजूद नहीं मिली।

अतः महोदय द्वारा हस्ताक्षर द्वारा पृष्ठांकित किया गया तो किसी अन्य कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया मिला।

श्रीमान जी के समक्ष स्पष्टीकरण सादर प्रेषित है।

दिनांक

30-05-22

प्रार्थिया

Sd/-

संगीता पटेल

आफिस प्यून

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F.T.C) झांसी।

सेवा में
श्रीमान्

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वि.न्या.) कोर्ट नं. 1
(पॉक्सो) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

विषय - दिनांक 28.05.2022 (चतुर्थ शनिवार) को न्यायालय में आयोजित कार्यशाला हेतु [illegible] के कार्यक्रम पर [illegible] रहने व उपस्थिति पंजिका पर [illegible] फर्जी हस्ताक्षर के बाबत में।

महोदय

सादर निवेदन है कि प्रार्थी सुबह 7:00 (सात बजे) न्यायालय [illegible] अपने हस्ताक्षर करके [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। प्रार्थी को ज्ञात नहीं कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कोई [illegible] अपने हस्ताक्षर किये व नहीं। प्रार्थी ने न ही दिनांक 26.02.22 व 30.05.22 को [illegible] [illegible] के हस्ताक्षर नहीं बनाये थे। न ही उपस्थिति पंजिका में मेरे हस्ताक्षर के हस्ताक्षर है।

आदेश सादर प्रेषित है

30.05.22

प्रार्थी Mohit
मोहित शर्मा
ADJ/JMC 14th FC

सेवा में

श्रीमान् ए० डी० जे० (एफ० टी० सी०) झाँसी
14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित

विषय — दिनांक 28.05.22 (चतुर्थ शनिवार) को मेरे कार्यस्थल पर गैर हाजिर रहने व उपस्थिति पंजिका पर को फर्जी हस्ताक्षर के सम्बंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

सादर निवेदन करना है कि प्रार्थिया दिनांक 28.05.22 को कार्यालय उपस्थित आयी थी एवं उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर भी प्रार्थिया ने स्वंय बनाये हैं किसी अन्य व्यक्ति से नहीं बनवाये। प्रार्थिया आवश्यक कार्य से (पत्रावलियो का कागज (Consignment) परीक्षण करने हेतु) कार्यालय से बाहर गयी थी। जब श्रीमान् जी ने प्रार्थिया के विषय में पूछा था। जब प्रार्थिया कार्यालय में उपस्थित आयी तब तक श्रीमान् मीटिंग हाल में चले गये। प्रार्थिया दिनांक 26.02.22 को भी कार्यालय (SO कार्यालय) में जाकर प्रार्थिया ने उपस्थिति पंजिका पर अपने हस्ताक्षर किये थे। श्रीमान जी ने दिनांक 26.02.22 के विषय में मुझसे (प्रार्थिया से) एवं श्रीमती संगीता पटेल (अर्दली) दोनो से प्रश्न किया था कि आप दोनो दिनांक 26.02.22 को कार्यालय उपस्थित नहीं आये थे। आप दोनों के हस्ताक्षर किसी और ने बनाये है परन्तु हमनें (SO office) जाकर उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर बनाये थे। आख्या सादर प्रस्तुत है।

दिनांक — 30.5.22

प्रार्थिया
Chykhnumr
खुशनुमा
सहायक लिपिक
ADJ/FTC 14th FC
Jhansi